न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—334 / 2019 / 75 (2019 / 00334)

1. नरेशचंद बींजावत पुत्र जगदीश प्रसाद बींजावत, निवासी 660 हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार), पुष्कर रोड़, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 19.8.2019 .

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर एवं श्री पंकज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 17.9.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 19.8.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट द्वारा राजस्थान कृषि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन अवस्थित आराजी खसरा नंबर 726 / 967 किस्म बारानी—2 रकबा 4.91 है0 भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के कार्यालय से कोई जवाब नहीं आने पर अपीलांट द्वारा पुनः दिनांक 8.12.2014 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु पत्र लिखा गया किन्तु कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 7245 / 2015 प्रस्तुत की जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.5.2015 को आदेश पारित किये जिसकी पालना में अपीलांट ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु निवेदन किया । जिस पर माननीय जिला कलक्टर, अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को पत्र प्रेषित कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में आवंटन का निवेदन किया । तत्पश्चात् भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2015 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2018 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को प्रतिप्रेषित कर मौका देखकर

विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के निर्देश दिये । प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने अपने आदेश दिनांक 19.8.2019 द्वारा पुनः अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस विधिक बिन्दु को नजरअदांज कर दिया कि अपीलांट द्वारा उनके समक्ष भूतपूर्व सैनिक होने के कारण आवंटन हेतु आवंटन नियम राजस्थान भू–राजस्व अधि0 की धारा 101 के तहत अनाधिकृत राजकीय भूमि आवंटन हेतु तहसीलदार, पीसांगन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था । तहसीलदार ने मूल प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का को भेजकर मौके संबंधी जांच हेतु निवेदन किया था जिस पर उपरोक्त आराजियात को सिवायचक काबिल काश्त माना व मौके पर किसी प्रकार कोई विवाद होना नहीं माना गया । तत्पश्चात् प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात् स्वंय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा मौका देखे जाने के बाद तैयार मौका रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं माना गया कि उपरोक्त आराजियात का आवंटन नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र गलत आधार पर निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रारंभ से बारानी–2 है एवं उक्त आराजियात धारा 16 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के तहत बाधित नहीं थी । इसलिये विवादित भूमि सिवायचक होने से अपीलांट को आवंटन योग्य थी । विवादित आराजियात में कहीं पर भी जल भराव बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है जिसे विधिक प्रावधानों के आधार पर आराजियात का आवंटन किया जाना चाहिये था केवल मात्र आवंटन में छोटे–मोटे गड्ढ़े होने के आधार पर टालमटोल करते हुए आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने गलत तौर पर कभी विवादित भूमि को चारागाह होने का हवाला देते हुए धारा 16 राज0काश्त0अधि0 से बाधित होना मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर विवादित आराजी को आवंटित करने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस मे निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात की किस्म चारागाह के रूप में परिवर्तित की जा चुकी है तथा विवादित आराजी की सरंचना नाडीनुमा है जिस पर काश्त नहीं की जा सकती है। यह भी कथन किया कि विवादित आराजी के दक्षिण दिशा में गै0मु0 नाला है तथा विवादित आराजी केचमेंट एरिया है जिसमें पानी के बहाव के कारण गड्ढे है तथा उक्त आराजी क्षैत्र आवंटन से प्रतिबंधित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने विवादित भूमि भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर आवंटन हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश

किया था जिसे अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय दिनांक 15.12.2015 को खारिज किये जाने पर अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 135/2016/75 (2016/00135) बउनवान नरेशचन्द्र बींजावत बनाम आवंटन सलाहकार समिति पेश की गई थी जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 26.11.2018 को पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि '' विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन स्वंय विवादित भूतमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को विधिसंगत रूप से निर्णित करे ।'' उक्त प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.8.2019 पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी, पींसागन ने दिनांक 30.5.2019 को उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया है । उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर स्वंय अपीलांट नरेशचन्द्र बींजावत के हस्ताक्षर है । उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 के अनुसार राजस्व ग्राम सवाईपुरा पटवार मण्डल भगवानपुरा के खसरा नंबर 726/967 रकबा 4.91 है0 किस्म बारानी–2 हाल चारागाह का का सर्वप्रथम सीमाज्ञान किया गया है जिसके अनुसार विवादित आराजी में पश्चिम में लगभग 250 मीटर दूर सवाईपुरा ग्राम की आबादी भूमि स्थित है । उत्तरी सीमा पर पगदण्डी के बाद विद्यालय के खेल मैदान व श्मशान की भूमि स्थित है । पूर्वी सीमा की तरफ सिवायचक भूमि है । दक्षिणी सीमा की तरफ खसरा नंबर 727 गै0मु0 नाला व खपसरा नंबर 726 चारागाह है । विवादित आराजी के पश्चिमी सीमा पर चबुतरानुमा देवस्थान बना हुआ है तथा विवादित आराजी के पश्चिमी सीमा एवं उत्तर–पश्चिमी सीमा पर काफी गहरे गड्डे है । संपूर्ण भूमि में लगभग 20 से 25 प्रतिशत भूमि अलग–अलग टुकड़ों में समतल है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की किस्म चारागाह है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है लेकिन अगर यह पूर्व की भांति सिवायचक भी दर्ज होती तो भी भूमि काश्त योग्य नहीं है, विवादित आराजी पर जल भराव है तथा मौके पर बड़े–बड़े गड्डे बने हुए है । उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा अपीलांट की मौजूदगी में तैयार उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित भूमि चारागाह होने से राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन योग्य नहीं है तथा विवादित भूमि जल भराव होने तथा बड़े–बड़े गड्डे होने से भी काबिल काश्त नहीं है । विवादित भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में होने तथा काबिल काश्त नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है तथा साथ ही अपीलांट को यह निर्देश दिये है कि अपीलांट अपनी मूल तहसील अजमेर में सक्षम अधिकारी के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में एस0बी0 रिट पीटिशन संख्या 7245/2015 पेश की गई थी । मान0 उच्च न्यायालय ने एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 7245/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.5.2015 में यह निर्देश दिये है कि प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपना प्रकरण पेश करने पर जिला कलक्टर सलाहकार समिति का गठन कर प्रार्थी के प्रकरण में स्पष्ट निर्णय पारित करे । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रांक संख्या 13581

दिनांक 1.12.2015 द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को भेजकर निर्देश दिये है कि प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखते हुए अतिशीघ्र निस्तारण की कार्यवाही करावें एवं प्रार्थी को आपके स्तर पर अवगत कराते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करे । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में मौका निरीक्षण कर विवादित भूमि वर्तमान में आवंटन योग्य नहीं होने से प्रार्थी/अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.8.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांट को विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य आवंटन योग्य भूमियों की सूची उपलब्ध करावे तथा अपीलांट द्वारा अन्य भूमि के संबंध में आवंटन बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी के प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 17.9.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर